



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 683/25 धारा 103(1)/3(5)
BNS से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-11-2025
को थाना कोतवाली
बागपत पर वादी श्री
अरमान पुत्र नफीस
निवासी ईदगाह
बिजली दफ्तर के पीछे
कस्बा व थाना बागपत
जनपद बागपत ने
लिखित तहरीर दी कि
अभियुक्तों 1.यामीन



पुत्र लाला, 2.रहीसू पुत्र यामीन, 3.मोहसीन पुत्र शौकीन, 4.मुस्तकीम पुत्र यामीन,
5. शौकीन पुत्र यामीन, 6.शमीम पुत्र जान आलम निवासीगण ईदगाह बिजली दफ्तर
के पीछे कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा दिनांक 12.11.2025 की दोपहर
14.30 वादी के पिता नफीस की ईंटों से मार-मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध
में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 683/2025
धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की
गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस
द्वारा थाने के मु0अ0सं0 683/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01
अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहसीन पुत्र शौकीन नि० मौ० ईदगाह ठाकुर द्वारा थाना व जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-IC /निरीक्षक अपराध वीरेन्द्र सिंह राणा थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-व०उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

4-उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना बागपत जनपद बागपत ।

5-उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

6-म०उ०नि० मोना शर्मा थाना बागपत जनपद बागपत ।

7-का० 129 दुष्यन्त कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

8-है०का० 873 हरीश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक-13.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 760/2024 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/352/351(2)/110 बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त

विवरण-

दिनांक-

07.09.2024

को कोतवाली
बागपत पर
वादिया ने
लिखित
तहरीर दी कि
अभियुक्तों 1.



बिजेन्द्र पुत्र रघुनाथ, 2. आकाश पुत्र बिजेन्द्र, 3. अंकुश पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत, 4. राजीव पुत्र देशपाल, 5. सूरज पुत्र करण, 6. सिकन्दर पुत्र ओमपाल, 7. सोनू पुत्र करण निवासीगण ग्राम सलावतपुर खेड़ी थाना खेकड़ा जनपद बागपत व 05 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके पति विकास उर्फ बन्टी को रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार किया जिससे उसके पति के सिर में गम्भीर चोट आयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 760/2024 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/352/351(2)/110 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 760/2024 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/352/351(2)/110(1) बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट – उक्त मुकदमे में 02 अभियुक्तों को दिनांक 25.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र श्री रघुनाथ निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना छपरौली

दिनांक- 13.11.2025

थाना छपरौली पुलिस द्वारा खोये/गुम हुए मोबाइल फोन (कीमत 27000/-) को बिहार राज्य से बरामद कर उसके स्वामि को किया गया सुपुर्द:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा जनता के खोये/गुम हुए मोबाइलों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना छपरौली को गुमशुदा मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना छपरौली पुलिस की टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते थाना छपरौली पर ड्यूटीरत हो0गा0 अंशुल का मोबाइल फोन मात्र 15 दिवस में बिहार राज्य से



बरामद करने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। बरामद मोबाइल फोन को थाना छपरौली पर उनके स्वामि को सुपुर्द किया गया।

मोबाइल फोन बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरी0अपराध श्री अश्वनी कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण चौहान थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.11.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा माह नवम्बर में चलाये जा रहे “ऑपरेशन ब्लैक कैट” के अन्तर्गत सघन चैकिंग के दौरान एक काली फिल्म लगी थार को सीज कर कार चालक व अन्य 01 साथी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा माह नवम्बर में चलाये जा रहे रहे “ऑपरेशन ब्लैक कैट” के अन्तर्गत सघन चैकिंग के दौरान एक काली फिल्म लगी थार को सीज कर कार चालक व अन्य 01 साथी के विरुद्ध थाना बडौत पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन ब्लैक कैट” अभियान के अंतर्गत जनपद में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ।

सभी वाहन चालकों से अपील है कि—

वाहन पर काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, गैरकानूनी नंबर प्लेट या अन्य प्रतिबंधित उपकरणों का प्रयोग न करें । यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने वाहन के सभी दस्तावेज साथ रखें ।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.11.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 731/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक स्टार्टर, एक पानी की मोटर, बीम बांधने वाला सरिया रिंग, सरिया करीब 60 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त एक साईकिल रेडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12-11-2025 को थाना बडौत पर वादी रोहित कुमार पुत्र रामकुमार निवासी बसंत बिहार कालौनी दुर्गा कम्प्यूटर वाली गली कस्बा व थाना बडौत बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान में अन्दर घुसकर ताला तोडकर मकान के हॉल से पानी की मोटर



समरसैबिल का स्टार्टर , एमसी बाकश , 90 किलो सरिया व अन्य सामान चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 731/2025 धारा 305ए/331(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 605/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी

किया हुआ एक स्टार्टर, एक पानी की मोटर, बीम बांधने वाला सरिया रिंग, सरिया करीब 60 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त एक साईकिल रेडा बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आर्यन पुत्र अजय नि० मौ० आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक सफेद रंग का स्टार्टर।
- एक पानी की मोटर।
- बीम बांधने वाला सरिया रिंग।
- सरिया करीब 60 किलोग्राम।
- घटना में प्रयुक्त एक पुराना साईकिल रेडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का० 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.11.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र सिंह पुत्र मुलैया उर्फ गुलिया नि0 ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-पीआरडी सुरेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना बिनौली , जनपद बागपत

नवम्बर 2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा माह नवम्बर 2025 में आवेदक/पीडित से हुई
ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल 32,500/- रुपये वापस कराये गये-

थाना बिनौली पुलिस द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप आवेदक/पीडित के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीडित द्वारा बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा०पत्रसं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33110250145758	32,500/-
		कुल	₹ 32,500/-



प्रेस नोट जनपद बागपत
महिला थाना

दिनांक 13.11.2025

थाना महिला थाना पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना महिला थाना पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र सतपाल निवासी ईदगाह करबा बागपत थाना व जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विजय कुमार महिला थाना बागपत ।
- 2-म0है0का0 117 रमा गौतम महिला थाना बागपत ।
- 3-म0पीआरडी सन्तोष महिला थाना बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम दिनांक 13.11.2025

साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम बागपत की संयुक्त टीम ने साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्सटाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड एवं प्रसारित करने वाले 01 बालअपचारी सहित अन्य 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.10.2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए साइबर सेल



बागपत व थाना साइबर बागपत पर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी । जांच के क्रम में साइबर सेल बागपत द्वारा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० साइबर क्राइम से प्राप्त समस्त प्रपत्रों, वीडियो एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया । जांच में पाया गया कि 1. राहुल पुत्र मनमौजी नि० ग्राम गुराना थाना बडौत, जनपद बागपत, 2. शिवम नामदेव पुत्र सुभाष चन्द नि० ग्राम बरवाला थाना रमाला, जनपद बागपत, थाना बडौत, जनपद बागपत, 3. तनवीर पुत्र समीम अहमद नि० ग्राम हिलवाडी, थाना बडौत, बागपत व 4. एक बाल अपचारी ने उपरोक्त अपराध किया है, जो गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है । साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में साइबर

सेल, बागपत व थाना साइबर क्राइम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- 41/2025 धारा 13 पोस्को एक्ट व 67B IT Act, 2. 42/2025 धारा 13 पोस्को एक्ट व 67B IT Act व 3. 43/2025 धारा 13 पोस्को एक्ट व 67B IT Act पंजीकृत किये गये।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के आदेशानुसार जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर क्राइम सेल बागपत पुलिस एवं थाना साइबर क्राइम, बागपत द्वारा संयुक्त कार्यवाही में 01 अलपचारी सहित अन्य 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 4 मोबाईल फोन व 4 सिम।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-राहुल पुत्र मनमौजी नि0 ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-शिवम नामदेव पुत्र सुभाष चन्द नि0 ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-तनवीर पुत्र समीम अहमद नि0 ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-एक बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री कैलाश चन्द प्रभारी साइबर सेल बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा थाना साइबर क्राइम बागपत।
- 3-निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह खोडा थाना साइबर क्राइम बागपत।
- 4-निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह पलावत थाना साइबर क्राइम बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साइबर सेल बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री दिग्विजय साइबर सेल बागपत।
- 7-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय साइबर सेल बागपत।
- 8-हे0का0 85 रवि शंकर साइबर सेल बागपत।
- 9-हे0का0 886 रवि साइबर सेल बागपत।
- 10-का0 963 प्रभात यादव साइबर सेल बागपत।
- 11 का0953 अंकुल कुमार साइबर सेल बागपत।



BAGHPAT POLICE



साइबर क्राइम सैल , जनपद बागपत

साइबर क्राइम सैल , जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन क्रिप्टो करंसी की धोखाधड़ी में सम्पूर्ण 15000/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीड़ित श्री निशांत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र नि0 ग्राम टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 23111250176971 पर 15000 रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी । जिसके फलस्वरूप साइबर सैल, जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित के सम्पूर्ण 15000 रुपयों को वापस कराये गये ।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम सैल	23111250176971	15000/-